



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7281

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43037 / 2025

सागर पांडेय

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता	:	स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं राज्य-विपक्षी के लिए श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक सागर पांडेय की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 465/2025, धारा 318(4), 340(2), 112(2) बी.एन.एस. एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 8,11,13(5), थाना फेज-2, जिला गौतम बुद्ध नगर में विचाराधीन मुकदमे के दौरान जमानत हेतु प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। इस मुकदमा अपराध संख्या में झूठे रूप में फंसाया गया है तथा 20.09.2025 से जेल में बंद है। समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त बसंती लाल कुमावत एवं श्रवण कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 41362/2025 एवं 41619/2025 में 01.12.2025 एवं 07.01.2026 के आदेशों द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं तथा जमानत पर रिहा होने पर न्याय के परिणाम से भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ का कोई भय नहीं। अतः जमानत हेतु प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपरीत पक्ष के विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया किंतु उक्त समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्तों को जमानत मिलने के तथ्य पर विवाद नहीं कर सका।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि पर दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ का उचित भय, प्रथम दृष्टया मामला-मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना-पर विचार करते हुए जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

उक्त मुकदमा अपराध संख्या में लिप्त अभियुक्त-आवेदक **सागर पांडेय** को जमानत पर रिहा किया जाए बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रत्येक नाममात्र राशि के प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा तथा मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित उपस्थित होगा जब तक व्यक्तिगत हाजिरी अधिवक्ता के माध्यम से छूट न मिल जाए।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है तो अवर न्यायालय जमानत रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

12 जनवरी 2026

दीपक/